19/12/26	पत्रावली पेश हुई। हालात वादी स्थापित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आज्ञप्ति पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुनवाई हेतु नोटिस के बाद हेतु पत्रावली पेश हो आदेश उपरान्त होगा। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. प्रेमसिंह
2. कैलाश
3. रामेश्वर
4. जलसिंह
5. बहादुरसिंह
6. श्रीमोहन

पुत्रान अमरचन्द

सभी जातियान मालीयान निवासीयान
झील का हार करौली
तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र मोहनलाल जाति लोधा (फौत)
   1/1. चमेलीवाई बेवा प्रहलाद
   1/2. हरिसिंह
   1/3. रामेश्वर
   पुत्रान प्रहलाद
   1/4. रूकमणी
   1/5. ममता
   पुत्रीयान प्रहलाद
2. कन्हैया पुत्र मोहनलाल
3. सुखदेव
4. प्रभूलाल
   पुत्रान नथुआ
5. तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला– करौली राज0
6. चरणवाई पत्नि रतीराम जाति– मीना निवासी बडा पुरा हाल निवासी शिव कॉलोनी तह0 करौली
7. श्रीमती प्रेम पत्नि रिषिराम मीना निवासी हाल शिव कॉलोनी करौली तह0 करौली जिला करौली राज0

–प्रतिवादीगण

दावा 53, 188, 183 आर टी एक्ट

मु.नं. 37/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अब्दुल हलीम**, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री विष्णु चंद बंसल**, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त रिपोर्ट के आधार उक्त खसरा नंबरान में धारा 177 आर टी एक्ट के तहत पृथक से प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज ..... का अदा करें।

बगरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19/12/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–37 / 2021 तारीख रजु:–23.9.2021

उनवान

1. प्रेमसिंह
2. कैलाश
3. रामेश्वर
4. जलसिंह
5. बहादुरसिंह
6. श्रीमोहन

पुत्रान अमरचन्द सभी जातियान मालीयान निवासीयान झील का हार करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र मोहनलाल जाति लोधा (फौत)

   1 / 1. चमेलीवाई बेवा प्रहलाद

   1 / 2. हरिसिंह, 1 / 3. रामेश्वर पुत्रान प्रहलाद

   1 / 4. रूकमणी, 1 / 5. ममता पुत्रीयान प्रहलाद

2. कन्हैया पुत्र मोहनलाल
3. सुखदेव
4. प्रभूलाल

   पुत्रान नथुआ

5. तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला– करौली राज0
6. चरणवाई पत्नि रतीराम जाति– मीना निवासी बडा पुरा हाल निवासी शिव कॉलोनी तह0 करौली
7. श्रीमती प्रेम पत्नि रिषिराम मीना निवासी हाल शिव कॉलोनी करौली तह0 करौली जिला करौली राज0

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा 53, 188, 183 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :– 13/2/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बरान 6170, 6171, 6173, 6219 कुल किता 4 रकवा 5 वीघा 2 विस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का हिस्सा 1/2 हे आराजी खसरा नम्बर 6172 प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 की खातेदारी की है जो वादीगण एवं एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 की खातेदारी के बीच में फंसी हुई है आये दिन डोल मेडों पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच विवाद बना रहता है। वादीगण अपनी फसल बाजरा काट चुके है दिनांक 25/9/08 को प्रतिवादीगण ने कहा कि तुमने जमीन अधिक दवा रखी है वादीगण ने मना किया और प्रतिवादीगण से कहां कि विधिवत अदालत चलकर आराजी मुतदाबिया का बंटवारा कर लो जिससे मौके पर अदालत ही आराजी का सही बंटवारा कर नक्शा व खातेदारी अलग अलग करवा देगी तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार करते हुये कहा कि तू खुद ही बंटवारा करता फिर 1 हम तो इस बार गेहूं की फसल पर तेरी तरफ बढकर जमीन जोतेंगे बोयेगें ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हें तुम्हारी फसल का लाभ नही उठाने देंगे तु म्हारी जमीन को दावा लेगें वादी वजह दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ। विनाय मुखासमत दिनांक 26/9/2008 को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन को दबाने फसल का लाभ नही उठाने देने एवं बंटवारा से इंकार करने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अन्दर मियाद हैं। अंत में दावा वादी डिक्री किये जो का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.12.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

सरकार पैरोकार को बंटवारा स्कीम हेतु सरकार परौकार को लिखे जाने पर सरकार पैरोकार तहसीलदार (भूअभि.), करौली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि कस्बा करौली के खसरा नंबर 6171, 6172, 6173 में मौके पर अधिकांश भूमि पर आबादी मकानात बने होने के कारण मौका अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नहीं है।

बहस वकील वादीया व सरकार पैरोकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस वकील वादीगण द्वारा कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 6170, 6171, 6172, 6173, 6219 कस्बा करौली का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 कराया जावे। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील वादी व सरकार पैरोकार का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार कस्बा करौली के खसरा नंबर 6171, 6172, 6173 में मौके पर अधिकांश भूमि पर आबादी मकानात बने होने के कारण मौका अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नहीं है। उक्त खसरा नंबरान को कृषि से अकृषि बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के प्लांटिग के रूप में उपयोग–उपभोग में लिया जाना सरकार पैरोकार से प्राप्त रिपोर्ट से साबित है। अतः दावा वादी चलने योग्य नहीं खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त रिपोर्ट के आधार उक्त खसरा नंबरान में धारा 177 आर टी एक्ट के तहत पृथक से प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 19/12/26 **को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. प्रेमसिंह
2. कैलाश
3. रामेश्वर
4. जलसिंह
5. बहादुरसिंह
6. श्रीमोहन

पुत्रान अमरचन्द सभी जातियान मालीयान निवासीयान झील का हार करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र मोहनलाल जाति लोधा (फौत)
   - 1/1. चमेलीवाई बेवा प्रहलाद
   - 1/2. हरिसिंह
   - 1/3. रामेश्वर

   पुत्रान प्रहलाद
   - 1/4. रूकमणी
   - 1/5. ममता

   पुत्रीयान प्रहलाद
2. कन्हैया पुत्र मोहनलाल
3. सुखदेव
4. प्रभूलाल

   पुत्रान नथुआ
5. तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला– करौली राज0
6. चरणवाई पत्नि रतीराम जाति– मीना निवासी बडा पुरा हाल निवासी शिव कॉलोनी तह0 करौली
7. श्रीमती प्रेम पत्नि रिषिराम मीना निवासी हाल शिव कॉलोनी करौली तह0 करौली जिला करौली राज0

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

–प्रतिवादीगण

12/1-08

दावा 53, 188, 183 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 37/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अब्दुल** हल्के **एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री विष्णु चंद बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण आराजी खसरा 6170, 6171, 6172, 6219 कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नंबर 6172 रक. बीघा 5 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली के 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं. ता 4 से बंटवारा कराने का अधिकारी है। तहसीलदार, करौली को 1500/– रूपये फीस पर कमि. नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि वे वादीगण के 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 से बंट. कर कर बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवावे। फीस कमिशनर वादीगण . करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29/12/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–37 / 2021 तारीख रजु:–23.9.2021

उनवान

1. प्रेमसिंह
2. कैलाश
3. रामेश्वर
4. जलसिंह
5. बहादुरसिंह
6. श्रीमोहन

पुत्रान अमरचन्द सभी जातियान मालीयान निवासीयान झील का हार करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र मोहनलाल जाति लोधा (फौत)

   1 / 1. चमेलीवाई बेवा प्रहलाद

   1 / 2. हरिसिंह, 1 / 3. रामेश्वर पुत्रान प्रहलाद

   1 / 4. रूकमणी, 1 / 5. ममता पुत्रीयान प्रहलाद

2. कन्हैया पुत्र मोहनलाल
3. सुखदेव
4. प्रभूलाल

   पुत्रान नथुआ

5. तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला– करौली राज0
6. चरणवाई पत्नि रतीराम जाति– मीना निवासी बडा पुरा हाल निवासी शिव कॉलोनी तह0 करौली
7. श्रीमती प्रेम पत्नि रिषिराम मीना निवासी हाल शिव कॉलोनी करौली तह0 करौली जिला करौली राज0

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा 53, 188, 183 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :– 29/12/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बरान 6170, 6171, 6173, 6219 कुल किता 4 रकवा 5 वीघा 2 विस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का हिस्सा 1/2 हे आराजी खसरा नम्बर 6172 प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 की खातेदारी की है जो वादीगण एवं एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 की खातेदारी के बीच में फंसी हुई है आये दिन डोल मेडों पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच विवाद बना रहता है। वादीगण अपनी फसल बाजरा काट चुके है दिनांक 25/9/08 को प्रतिवादीगण ने कहा कि तुमने जमीन अधिक दवा रखी है वादीगण ने मना किया और प्रतिवादीगण से कहां कि विधिवत अदालत चलकर आराजी मुतदाबिया का बंटवारा कर लो जिससे मौके पर अदालत ही आराजी का सही बंटवारा कर नक्शा व खातेदारी अलग अलग करवा देगी तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार करते हुये कहा कि तू खुद ही बंटवारा करता फिर 1 हम तो इस बार गेहूं की फसल पर तेरी तरफ बढकर जमीन जोतेंगे बोयेगें ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हें तुम्हारी फसल का लाभ नही उठाने देंगे तु म्हारी जमीन को दावा लेगें वादी वजह दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ। विनाय मुखासमत दिनांक 26/9/2008 को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन को दबाने फसल का लाभ नही उठाने देने एवं बंटवारा से इंकार करने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अन्दर मियाद हैं। अंत में दावा वादी डिक्री किये जो का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 3, 4, 6, 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नंबर 1, 2 द्वारा जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

कर कथन किया है कि विवादित आराजी का कस्बा करौली में वादीगण व प्रति0 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना व वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 के 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज होना एवं ख.न0 6172 प्रतिवादी नं0 3 व 4 की खातेदारी में होना एवं वादीगण से प्रति0 3 व 4 का डोल मेड के बारे में विवाद रहना सही है स्वीकार है। विवादित आराजी का वादीगण के साविक मालिक विष्णु व प्रतिवादी नं0 1 व 2 है। विवादित आराजी का वादीगण के साविक मालिक विष्णु व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य वाहमी बंटवारा अर्सा 15 वर्ष पूर्व हो चुका हैं। और मुताबिक वाहमी बंटवारा आराजी ख0 न0 6173 व 6219 हम प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के हिस्से खातेदारी में रही है। एवं आराजी ख0 नं0 6170, 6171 वादीगण के साविक मालिक विष्णु के हिस्से खातेदारी में रही है जिन्हें विष्णु ने वादीगण को विक्रय कर दिया है, तबब से उक्त आराजी ख0 न0 6170, 6171 वादीगण के हिस्से खातेदारी व कब्जे में है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 का कोई विवाद प्रति0 नं0 3 व 4 से नही है। वादीगण ने इस मद में सारे तथ्य मनगढनत वगै व निराधार अंकित किये है। जब विवादित आराजीयात का बाहमी बंटवारा वादीगण के साविक मालिक विष्णु व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य अर्सा 15 वर्ष पूर्व हो चुका है तब अदालत द्वारा बंटवारा कराने की प्रति0 नं0 1 व 2 द्वारा कहने का प्रश्न ही पैदा हनी होता है। वादीगणर ने इस मद में सारे तथ्य मनगढन्त वेग व निराधार मात्र वाद कारण बनाने की बदनीयति से झूठे तथ्य अंकित किये है। वादीगण दावा की आड में प्रति0 नं0 1 व 2 के हिस्से की आराजीयात जो वाहमी बंटवारे में आयी है, उन्हें हडपना चाहते हैं। दावा वादी वाद कारण के अभाव मे चलने योग्य नही है। वादीगण को कोई वाद कारण दि0 25/9/08 को खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 व 2 पैदा नही हुयी है। दावा वादीगण वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। दावा वादीगण वेग व निराधार है। वादीगण ने अपने वादपत्र में कोई भी अभिवचन विधिवत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा व दखल के दर्ज नही किये विधिवत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा व दखल के दर्ज नही किये है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण विधि अनुसार चलने योग्य नही

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

है। दावा वादीगण हर सूरत खारिज किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात का वादीगण के साविक मालिक खातेदार विष्णु व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य वाहमी बंटवारा अर्सा 15 वर्ष पूर्व हो चुका है। और मुताबिक वाहमी बंटवारा आराजी खं0 न0 6173 व 6219 कस्बा करौली प्रति0 नं0 1 व 2 के हिस्से खातेदारी व कस्बे में रही है। योम वाहमी बंटवारा से प्रति0 नं0 1 व 2 इन आराजीयात पर बतौर खातेदार काबिज है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 जरिये काउन्टर क्लेम वाहमी बंटवारा अनुसार कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रति0 नं0 1 व 2 के ख0 नं0 6173 व 6171 के मध्य मेड पर स्थित चाह पर मवेशीयों को पानी मिलाने लाने ले जाने के लिए व चाह पर सिचाई के लिए एवं पानी पीने जाने आने के लिए स्थित 5 फुट चौडे रास्ते को पूर्वी दिशा की मेड पर ढकनों की बाढ कर कर वद कर दिया है। जिससे प्रति0 नं0 1 व 2 को आवागमन चाह में परेशानी होती है। जिसे दिन0 29/01/09 को हटाने की वादीगण से कहने पर वादीगण साफ इन्कार हो गये और वादीगण ने ऐलानियां चाह का उपयोग उपभोग नही करने की कहा है। वादीगण की यह कार्यवाही अनाधिकार है। जिससे हक हकूक प्रतिवादीगण भारी आघात है और प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 वादीगण को जरिये काउन्टर क्लेम स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। विनाय मुखासमत काउन्टर क्लेम दि0 27/1/09 को वादीगण के दावा के सम्मन प्रतिवादी नं0 1 व 2 को प्राप्त होने पर व दि0 29/1/09 को प्रति0 नं0 1 व 2 द्वारा वादीगण से चाह के आने जाने वाले रास्ते की ढक्करों की वाढ को हटाने की कहने पर वादीगण द्वारा साफ इन्कार करने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी है। अतः काउण्टर क्लेम अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अंत दावा वादी खारिज किया जावे और काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा जबाव काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया है कि काउन्टर क्लेम में किसी भी वाहमी बंटवारे का होना स्वीकार नही है। अगर किसी प्रकार का बंटवारा हुआ होता तो मुताबिक हिस्से कागजात सरकारी में उसका इन्द्राज जरूर होता तो मुताबिक हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

कागजात सरकारी में उसका इन्दाज जरूर होता या विष्णु द्वारा वादीगण के हक में वयनामा करवाते समय बंटवारे के समय बंटवारे के तथ्य को खोलते हुये वयनामा तस्दीक करवाया गया होता। प्रतिवादी नं0 1 व 2 के दिल में बदयान्ति है और वह कानूनी बंटवारे से बचना चाहते है इसलिए मुकदमा हाजा को देरी करने की गरज से प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने यह काउन्टर क्लेम पेश यिका है जो काबिले इखराज है। और वादीगण मुताबिक कानून अपना हिस्सा 1/2 का बंटवारा कराने के अधिकारी है। काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा कुये के लिये पांच–छहः फुट का रास्ता होना गलत दर्ज किया है जो प्रतिवादीगण की बदयान्ति को दर्शाता है वादी व प्रतिवादीगण की मवेशी अपने यथावत स्थान मेड पर बने हुये का उपयोग उपभोग बदस्तूर करती चली आ रही है। जब बंटवारा ही नही हुआ तो प्रतिवादीगण द्वारा जबरन आपसी बाहमी राजीनामा प्रतिवादीगण 15 साल पूर्व बताते है स्वतः ही महत्वहीन तथ्य हो जाता है कागजात सरकारी है वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 आराजी मुतदाविया के 1/2, 1/2 के हिस्सेदार हे और वादीगण मुताबिक रिकार्ड प्रतिवादीगण से अपना हिस्सा मुताबिक कानून प्रत्येक किस्म की भूमि से कराने के अधिकारी है प्रतिवादीगण द्वारा पेश कर्दा काउन्टर क्लेम निराधार तथ्य हीन मात्र मुकदमा हाजा की देरी करने की गरज से पेश किया गया है जो काबिले इखराज है। अंत में काउन्टर क्लेम खारिज किया जावे और दावा वादी डिक्री किया जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया विवादित आराजीयात दर्ज वादपत्र मद नं0 1 वादीगण व प्रति नं0 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की है। वादीगण अपने 1/2 हिस्से का बंटवारा कराने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

––वादीगण

2. आया विवादित आराजीयात व वादीगण के 1/2 हिस्से खातेदारी व कस्बे की हें वादीगण प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी है।

——वादीगण

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण के अपने हिस्से की आराजी पर दखल प्राप्त करने के अधिकारी है।

——वादीगण

4. आया प्रतिवादीगण मुताबिक काउन्टर क्लेम का मद नं0 8 के विवादित आराजीयात का वाहमी बंटवारा अनुसार बंटवारा कराने के अधिकारी है। ——प्रतिवादीगण

5. आया प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर वाहमी बंटवारा अनुसार काबिज है। प्रतिवादीगण वादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी है।

——प्रतिवादीगण

6. आया दावा वादीगण वाद कारण के अभाव में चलने योग्य नही है।

——प्रतिवादीगण

7. अनुतोष :—

वाद विवाद्यक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी प्रेमसिंह पीडब्ल्यू—1 व गवाह पीडब्ल्यू—2 पदम के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064—67 प्रदर्श—1 व 2 पेश किये है। साक्ष्यवादी समाप्त कर बंद की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी ली गई। प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी डीडब्ल्यू—1 कन्हैया के बयान लेखबद्व कराये है। अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बरान 6170, 6171, 6173, 6219 कुल किता 4 रकवा 5 वीघा 2

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का हिस्सा 1/2 है आराजी खसरा नम्बर 6172 प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 की खातेदारी की है जो वादीगण एवं एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 की खातेदारी के बीच में फंसी हुई है आये दिन डोल मेडों पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच विवाद बना रहता है। वादीगण अपनी फसल बाजरा काट चुके है दिनांक 25/9/08 को प्रतिवादीगण ने कहा कि तुमने जमीन अधिक दवा रखी है वादीगण ने मना किया और प्रतिवादीगण से कहां कि विधिवत अदालत चलकर आराजी मुतदाबिया का बंटवारा कर लो जिससे मौके पर अदालत ही आराजी का सही बंटवारा कर नक्शा व खातेदारी अलग अलग करवा देगी तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार करते हुये कहा कि तू खुद ही बंटवारा करता फिर 1 हम तो इस बार गेहूं की फसल पर तेरी तरफ बढकर जमीन जोतेंगे बोयेगें ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हें तुम्हारी फसल का लाभ नही उठाने देंगे तु म्हारी जमीन को दावा लेगें वादी वजह दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि विवादित आराजी का कस्बा करौली में वादीगण व प्रति0 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना व वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 के 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज होना एवं ख.न0 6172 प्रतिवादी नं0 3 व 4 की खातेदारी में होना एवं वादीगण से प्रति0 3 व 4 का डोल मेड के बारे में विवाद रहना सही है स्वीकार है। विवादित आराजी का वादीगण के साविक मालिक विष्णु व प्रतिवादी नं0 1 व 2 है। विवादित आराजी का वादीगण के साविक मालिक विष्णु व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य वाहमी बंटवारा अर्सा 15 वर्ष पूर्व हो चुका हैं। और मुताबिक वाहमी बंटवारा आराजी ख0 न0 6173 व 6219 हम प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के हिस्से खातेदारी में रही है। एवं आराजी ख0 नं0 6170, 6171 वादीगण के साविक मालिक विष्णु के हिस्से खातेदारी में रही है जिन्हें विष्णु ने वादीगण को विक्रय कर दिया है, तबब से उक्त आराजी ख0 न0 6170, 6171 वादीगण के हिस्से खातेदारी व कब्जे में है। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०

नं0 1 व 2 का कोई विवाद प्रति0 नं0 3 व 4 से नही है। वादीगण ने इस मद में सारे तथ्य मनगढनत वगै व निराधार अंकित किये है। जब विवादित आराजीयात का बाहमी बंटवारा वादीगण के साविक मालिक विष्णु व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य अर्सा 15 वर्ष पूर्व हो चुका है तब अदालत द्वारा बंटवारा कराने की प्रति0 नं0 1 व 2 द्वारा कहने का प्रश्न ही पैदा हनी होता है। वादीगणर ने इस मद में सारे तथ्य मनगढन्त वेग व निराधार मात्र वाद कारण बनाने की बदनीयति से झूठे तथ्य अंकित किये है। वादीगण दावा की आड में प्रति0 नं0 1 व 2 के हिस्से की आराजीयात जो वाहमी बंटवारे में आयी है, उन्हें हडपना चाहते हैं। दावा वादी वाद कारण के अभाव मे चलने योग्य नही है। वादीगण को कोई वाद कारण दि0 25/9/08 को खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 व 2 पैदा नही हुयी है। दावा वादीगण वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। दावा वादीगण वेग व निराधार है। वादीगण ने अपने वादपत्र में कोई भी अभिवचन विधिवत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा व दखल के दर्ज नही किये विधिवत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा व दखल के दर्ज नही किये है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण विधि अनुसार चलने योग्य नही है। दावा वादीगण हर सूरत खारिज किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात का वादीगण के साविक मालिक खातेदार विष्णु व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य वाहमी बंटवारा अर्सा 15 वर्ष पूर्व हो चुका है। और मुताबिक वाहमी बंटवारा आराजी खं0 न0 6173 व 6219 कस्बा करौली प्रति0 नं0 1 व 2 के हिस्से खातेदारी व कस्बे में रही है। योम वाहमी बंटवारा से प्रति0 नं0 1 व 2 इन आराजीयात पर बतौर खातेदार काबिज है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 जरिये काउन्टर क्लेम वाहमी बंटवारा अनुसार कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रति0 नं0 1 व 2 के ख0 नं0 6173 व 6171 के मध्य मेड पर स्थित चाह पर मवेशीयों को पानी मिलाने लाने ले जाने के लिए व चाह पर सिचाई के लिए एवं पानी पीने जाने आने के लिए स्थित 5 फुट चौड़ रास्ते को पूर्वी दिशा की मेड पर ढकनों की बाढ कर कर बद कर दिया है। जिससे प्रति0 नं0 1 व 2 को आवागमन चाह में परेशानी होती है। जिसे दिन0 29/01/09 को हटाने की वादीगण से कहने पर वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

साफ इन्कार हो गये और वादीगण ने ऐलानियां चाह का उपयोग उपभोग नही करने की कहा है। वादीगण की यह कार्यवाही अनाधिकार है। जिससे हक हकूक प्रतिवादीगण भारी आघात है और प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 वादीगण को जरिये काउन्टर क्लेम स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः काउण्टर क्लेम अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अंत दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है जो निम्नानुसार हैः–

विवाद्यक संख्या 1 ता 3 को साबित करने भार वादीगण पर है। ये तीनों विवाद्यक एक–दूसरे के पूरक होने से इनका एक साथ विवेचन किया जाना उचित है। इन विवाद्यकों के संबंध में वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 व 2 पेश की है। जिनमें भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। भूमि पर कब्जाकाश्त होना वादीगण पीडब्ल्यू–1 प्रेमसिंह व पीडब्ल्यू–2 पदम ने होना बताया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादी कन्हैया ने मात्र भूमि पर अलग–अलग काबिज होना कथन किया है। अन्य कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। जमाबंदी प्रदर्श–1 व 2 से भूमि वादग्रस्त बंटवारा नहीं होना प्रकट है। वादीगण अपने 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण से बंटवारा कराने के हकदार है। अतः विवाद्यक संख्या 1 ता 3 वादीगण ने पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 4 ता 6 को साबित करने का भार प्रतिवदीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इन विवाद्यकों के संबंध में मात्र प्रतिवादी कन्हैया डीडब्ल्यू–1 का बयान लेखबद्व कराया है। जिसमें उसने मात्र भूमि पर अलग–अलग काबिज होना बताया हैं। कोई वाहमी बंटवारा का दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। अतः विवाद्यक संख्या 3 ता 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

विवाद्यक संख्या 7 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 6 के विवेचन से वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 के संयुक्त खातेदार की होना राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 व 2 से साबित है और बंटवारा नहीं होना संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना साबित होता है। वादीगण अपने हिस्से के बंटवारा कराने का अधिकारी है। दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण आराजी खसरा नंबर 6170, 6171, 6172, 6219 कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नंबर 6172 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली के 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 से बंटवारा कराने का अधिकारी है। तहसीलदार, करौली को 1500/– रूपये फीस पर कमिशनर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि वे वादीगण के 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 से बंटवारा कर कर बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवावे। फीस कमिशनर वादीगण अदा करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/25 **को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली